



# सामुदायिक बाल देखभाल

सेवा दिल्ली की एक नई पहल

सेवा दिल्ली की एक नई पहल, (सामुदायिक बाल-सेवा) "असंगठित कामगारों की चाइल्डकेयर तक पहुंच" असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण समस्या को सामने लाने का प्रयास है। यह अभियान उन महिलाओं की चिंताओं पर केंद्रित है, जो अपने परिवार की देखभाल और रोज़गार के बीच संतुलन बनाने करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक, जैसे निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार और सड़क विक्रेता, अनेक ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबकर काम करती हैं। निराशावश, इन सबके बीच, उनके पास सुरक्षित और किफ़ायती चाइल्डकेयर सेवाओं की भारी कमी है। पहले से चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र, जो कुछ हद तक सहायक हो सकते हैं, ज़्यादातर इन महिलाओं के कामकाजी समय से मेल नहीं पाते। इस कारण, कई महिलाएं अपना काम छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, या अपने बच्चों को असुरक्षित कार्यस्थलों पर ले जाने का जोखिम उठाती हैं।

ईला बेन (सेवा की संस्थापक) कहती हैं, **"परिवर्तन, यदि वास्तविक होना है, तो उसे लोगों से आना चाहिए।"**

सेवा ने वर्षों तक महिला श्रमिकों के साथ काम करते हुए पाया कि उनके जीवन में दो प्रमुख स्तम्भ हैं – रोज़गार और परिवार। इन दोनों में से किसी एक में अस्थिरता उनके संपूर्ण विकास और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे ध्यान में रखते हुए, सेवा ने यह महसूस किया कि चाइल्डकेयर की सुविधा हर कामगार का अधिकार होना चाहिए।

इस पहल के माध्यम से, सेवा की कोशिश है कि चाइल्डकेयर की व्यवस्था को सभी कामगार बहनों तक पहुंचाया जाए। सेवा का उद्देश्य है कि इस दिशा में ठोस नीतिगत कदम उठाए जाएं, ताकि महिला कामगार अपने बच्चों के भविष्य और अपने रोज़गार के बीच चयन करने के लिए विवश न हों।



### सेवा दिल्ली: परिचय

सेवा दिल्ली, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ (SEWA: Self-Employed Women's Association) की एक शाखा है, 'सेवा' की स्थापना 1972 में अहमदाबाद में **ईला आर. भट्ट** द्वारा की गई। सेवा भारत, असंगठित कार्यक्षेत्रों में काम करने वाली लाखों महिलाओं की सामूहिक आवाज़ को मज़बूत बनाता है — ये सड़क विक्रेता, कृषि मज़दूर, निर्माण श्रमिक, कचरा प्रबंधक, और घर पर सिलाई-कढ़ाई करने वाली महिलाएँ हैं, जिन्हें घर खाता कामगार कहा जाता है। ये महिलाएं अनेक कार्यों से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी उन्हें श्रमिक के रूप में सार्थक मान्यता नहीं मिलती।

**सेवा दिल्ली** की शुरुआत 1999 में दिल्ली शहर के जहांगीरपुरी इलाके में सब्ज़ी विक्रेताओं के साथ काम करने से हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली हमेशा से प्रवासी मज़दूरों के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ वे असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन और अस्थिर नौकरियों में काम करते हैं। जैसे-जैसे सेवा आंदोलन ने शहर में गति पकड़ी, विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों की महिलाएँ इससे जुड़ने लगीं, जो श्रमिक के रूप में सम्मान की समान इच्छा से प्रेरित थीं। आज, सेवा दिल्ली में एक लाख से अधिक सदस्य हैं, जो अपनी आजीविका को अधिक न्यायसंगत और सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं।





इस लेख में हम **सामुदायिक क्रेच (बाल-देखभाल/चाइल्डकेयर सुविधाओं)** पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे सेवा द्वारा कार्यरत महिलाओं के जीवन में बाल देखभाल की महत्ता को समझने के बाद शुरू किया गया। गुजरात में ईला बेन द्वारा आयोजित एक बैठक में, जब महिला श्रमिकों का संगठन प्रारंभिक अवस्था में था, ईला बेन ने उपस्थित महिलाओं से एक प्रश्न में पूछा कि उन्हें गरीबी से उभरने के लिए किन संसाधनों या आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षित है। इसके जवाब में उन महिला श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं से ही सेवा के 11 मूलभूत बिंदुओं का स्वरूप विकसित हुआ। निम्नलिखित 11 बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु बाल देखभाल (चाइल्डकेयर) है – जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं हेतु पोषण और महिलाओं के कार्यस्थल पर जाने के दौरान बच्चों की देखभाल की सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अपने बच्चों की देखभाल के लिए रोजगार छोड़ना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां 'दादा-दादी' या 'नाना-नानी' द्वारा बच्चे की देखभाल का पारंपरिक विचार भी कारगर नहीं होता, चूंकि परिवार की प्रत्येक महिला सदस्य, चाहे वह दादी हो, बेटी हो या स्वयं मां, सभी को परिवार के भरण-पोषण के लिए काम करना पड़ता है। आज के महंगाई के दौर में महिलाएँ अपनी नौकरी छोड़कर बच्चों की देखभाल नहीं कर पातीं, इसलिए उन्हें बच्चों को घर पर बिना देखभाल के छोड़ना पड़ता है, जिससे उनकी चिंता बढ़ जाती है और कई बार बच्चों को दुर्घटनाओं या अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।






## असंगठित कामगार महिलाओं के बच्चों के लिए “समुदाय बाल सेवा केंद्र” की शुरुआत

साल 2025 में जहांगीरपुरी से सेवा दिल्ली ने असंगठित कामगार महिलाओं के बच्चों के लिए “समुदाय बाल सेवा केंद्र” की शुरुआत की, जो संगठन के लिए एक नया और महत्वपूर्ण अनुभव रहा। इस पहल से उन महिलाओं को सहायता मिली जो अपने बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी और काम के बीच संतुलन नहीं बना पा रही थी। इस बाल-सेवा केंद्र के द्वारा इन बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया गया। इस बाल देखभाल केंद्र की रचना इस प्रकार की गयी है कि बच्चे यहां प्रतिदिन 6 से 8 घंटे बिता सकें। केंद्र में दो कमरे और एक रसोई है। एक कमरा पढ़ाई और खेलने के लिए है और दूसरा सोने और आराम करने के लिए। बाल-सेवा केंद्र का संचालन दो बालसेविका और एक पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) द्वारा किया जाता है। दोनों ही बाल सेविकाओं ने बाल देखभाल से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है।

बच्चों को पूरे दिन का भोजन, पोषण विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित आहार योजना के अनुसार दिया जाता है, और प्रत्येक बच्चे की देखरेख बाल सेविकाएँ करती हैं। केंद्र में बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौनों की व्यवस्था है और उनके शारीरिक विकास के आधार पर शिक्षा और खेल-कूद की सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

**प्रत्येक बच्चे की ‘विकास प्रगति’ की मासिक समीक्षा की जाती है, जिसे माता-पिता के साथ फीडबैक सत्रों के दौरान साझा किया जाता है।**





**बाल सेविका, रामी बेन**, पिछले 20 वर्षों से सेवा से जुड़ी हुई हैं, हाल ही में उन्हें बाल-सेविका की ज़िम्मेदारी दी गई। रामी बेन, एक भरोसेमंद और काफी खुश मिज़ाज इंसान हैं। उनके अनुभव को जानने पर हमें पता चला कि यह बाल सेवा केंद्र सिर्फ 6-8 घंटे बच्चों की देखभाल नहीं करता बल्कि खेल-कूद और शिक्षा के माध्यम से उनके पूर्ण विकास पर भी ध्यान देता है। बच्चों में ध्यान एकाग्रता जैसे मूल्य इस उम्र में बहुत आवश्यक हैं जो उनकी बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी हैं। जहाँ पहले बच्चे खाना खाने में आना-कानी किया करते थे, अब वही बड़े चाव से रोज़ वक्त पर अपना सही आहार लेते हैं। रामी बेन ने बतलाया कि सेवा ने यह पहल शुरू करने से पहले लगभग 200 परिवारों के साथ इसके महत्व का सर्वेक्षण किया। बाल सेवा केंद्र में प्रति बच्चा शुल्क 500 रूपए है, और यह राशि भी समुदाय की महिलाओं ने मिलकर तय की है। पिछले 8 महीने से चल रहे इस क्रेच में अब तक 28 बच्चे जुड़ चुके हैं। इन 28 बच्चों में से 4 बच्चे 2 से 2.5 वर्ष के हैं, जो कि दाखिले के समय बोल नहीं पाते थे, और अब यहाँ चार महीने में रहते-सीखते सबके साथ बोलने लगे हैं। यहाँ न केवल बच्चे खेल-कूद में भाग लेते हैं, बल्कि अनुशासन भी सीखते हैं।

रामी बेन ने बताया क्रेच की दिनचर्या कुछ इस प्रकार है : सुबह 10-11 बजे बच्चों का आगमन। नाश्ते में दूध और फलाहार। दोपहर के खाने में, दलिया, खिचड़ी, खीर आदि। भोजन के बाद, आराम/सोना। और दिन के किसी भी समय अचानक भूख लगने पर उसके लिए चने की व्यवस्था है।

**"सेवा ने बाल देखभाल के लिए जो रणनीति अपनाई है और सामुदायिक बाल देखभाल केंद्र शुरू किए हैं, वे असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?"**

**"एक औसत बच्चे का मस्तिष्क 3 साल की उम्र तक वयस्क आकार का लगभग 80% विकसित हो जाता है"**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, "पहले 1000 दिन" उस अवधि को कहा जाता है जो गर्भधारण की योजना बनाने से शुरू होकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक जाती है। इस यात्रा का हर दिन विशेष होता है और यह बच्चे के विकास, वृद्धि और सीखने के तरीके को प्रभावित करता है, केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवन भर के लिए।

सेवा दिल्ली पिछले 5 वर्षों से महिलाओं के स्वास्थ्य पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और 'पहले 1000 दिनों' के महत्व पर एक केंद्रित जागरूकता अभियान चला रही है। बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने 'पहले 1000 दिनों' के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया और इसी के साथ, सेवा ने सामुदायिक चाइल्डकेयर की शुरुआत की।

इस पहल के माध्यम से, सेवा का लक्ष्य महिला श्रमिकों को सशक्त बनाना है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक को हल करना, ताकि वे अपने और अपने परिवारों के लिए अधिक बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।



### अनुभव एवं चर्चा

**“बच्चे को यहां छोड़कर जाने से पहले मैं 2 ही घर में काम करती थी, अभी 4 घर में काम कर पा रही हूँ जिससे मेरी कमाई भी बढ़ी है।”**

**- सीता बेन**

घरेलू कामगार सीता बेन जो पिछले 8 महीनों से अपनी 3 साल की बेटी को जहाँगीरपुरी स्थित सेवा चाइल्ड केयर क्रेच में भेज रही हैं। उन्होंने बताया कि सेवा के इस क्रेच के शुरू होने से पहले वह रोज़ अपनी बच्ची को अपनी भाभी के घर छोड़कर काम पर जाती थीं।

सीता बेन ने यह भी बताया कि जब बच्चा बहुत छोटा था और बार-बार बीमार पड़ता था, तो उन्हें कई बार घर पर ही रुकना पड़ता था। इससे उनकी मज़दूरी कट जाती थी और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद दोबारा नौकरी पाना भी मुश्किल हो गया था। एक चर्चा के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वे बच्चों को आंगनवाड़ी क्यों नहीं भेजतीं, तो उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी का समय उनके काम के समय से मेल नहीं खाता। साथ ही, उनके इलाके की आंगनवाड़ियों में ज़्यादातर बच्चों की तस्वीरें खींची जाती हैं, सप्लीमेंट दिए जाते हैं और फिर बच्चों को घर भेज दिया जाता है।

उन्होंने आगे बताया, जब सेवा की दीदियाँ हमारे पास आईं और हमें अपने घर के पास की क्रेच के बारे में पता चला, तो उन्होंने विश्वास के साथ अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू किया। इससे न सिर्फ़ उनकी नौकरी और समय पर अच्छा असर हुआ बल्कि उनके बच्चे में भी बदलाव साफ़ दिखा। क्रेच में दाखिला लेने के बाद सीता बेन की बेटी झलक ने जल्दी बोलना शुरू किया।

“मेरा बच्चा खाना नहीं खाता था, लेकिन यहाँ आकर उसने खुद से खाना खाना सीख लिया, मैं अब निश्चित होकर काम करती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा क्रेच में सुरक्षित रहता है।” - सीता बेन

### दिव्यांश - एक खोई आवाज़

दिव्यांश की उम्र 3 वर्ष है, और उसके माता-पिता मूक-बधिर हैं। कई वर्षों तक उसके माता-पिता को लगा कि वह भी उन्हीं की तरह दिव्यांग है, जिसके चलते उन्होंने दिव्यांश के साथ इशारों की भाषा में बात करना शुरू कर दिया। दिव्यांश की दादी, जो सेवा दिल्ली से जुड़ी हैं, जब उन्हें इस क्रेच के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने दिव्यांश का दाखिला तुरंत यहाँ करवा दिया। उन्हें दिव्यांश का यहाँ दाखिला करवाते वक्त कहा, “इसके माँ-बाप ना बोल-सुन सकते हैं ना ही ये।”

यहाँ दिव्यांश का ध्यान रखते हुए रामी बेन को पता चला कि दिव्यांश सुन और बोल सकता है। जिससे उन्हें यह पक्का हुआ कि वह अपने माँ-बाप की तरह नहीं है, वह जानबूझकर उससे सवाल-जवाब करतीं और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करने लगीं। धीरे-धीरे दिव्यांश बोलने लगा, हालाँकि शुरुआत में उसे बोलने में दिक्कत हुई। रामी बेन ने कहा, “मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करती हूँ। अब दिव्यांश गिनती सीख गया है और गिनती सुना सकता है। जब मैं क्रेच गई और पूछा, ‘दिव्यांश कौन है?’ तो उसने हाथ उठाकर जवाब दिया।”





सेवा दिल्ली द्वारा शुरू की गई **“सामुदायिक बाल देखभाल”** पहल असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। कामकाजी महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ‘काम और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करना’ को समझते हुए सेवा ने बाल सेवा केंद्रों के माध्यम से एक ठोस समाधान प्रस्तुत किया है। यह पहल न केवल बच्चों के लिए पोषण, सुरक्षा और प्रारंभिक शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं को भी अपने कार्यस्थलों पर मानसिक शांति और स्थिरता के साथ काम करने का अधिकार देती है।

सेवा दिल्ली का ‘असंगठित कामगारों की चाइल्डकेयर तक पहुंच’ अभियान इस विचार को सुदृढ़ करता है कि चाइल्डकेयर कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि हर श्रमिक का मौलिक एवं भौतिक अधिकार है।

कई नारीवादी संस्थाएं एवं विचारधारकों का मानना है कि बच्चों की देखभाल कोई आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) ने भी बच्चों की देखभाल को मानव अधिकार माना है। बाल सेवा केंद्रों की स्थापना, समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर की गई योजना, सतत प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा दिल्ली ने यह साबित किया है कि यदि प्रयास ज़मीनी स्तर से शुरू किए जाएं, तो वे दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सशक्त कदम बन सकते हैं।

भविष्य में, सेवा दिल्ली का उद्देश्य है कि इस मॉडल को और अधिक समुदायों में फैलाया जाए और एक व्यापक नीति बदलाव की मांग को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, ताकि असंगठित क्षेत्र की हर महिला को अपने काम और अपने बच्चे दोनों के भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

इस पहल के साथ सेवा दिल्ली, महिलाओं की सामूहिक शक्ति को मजबूत करते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर है।